

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद

आदेश रां०/सम्बद्धता/ 19928-25

/2016-17 दिनांक: 10 नवम्बर 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं० 2798/15-11-2016 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ द्वारा निजी संस्थान एस्ट्रोन कॉलेज ऑफ एजूकेशन, हापुड वाईपास नूरनगर, जनपद मेरठ को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय वी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दो गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिवन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से अतिरिक्त दो यूनिट (अतिरिक्त 100 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्रामूल एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
 - (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
 - (3) नेशनल विल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर वाध्यकारी होगा।
 - (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् वयनित संकाय सदरयों का अनुगोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना वयनित सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदरयों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं सुनिश्चित किया जाना होगा। यह अभिलेख रथायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा रथायी रूप से रखा जायेगा।
 - (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
 - (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य रत्नीय समिति की वैठक दिनांक 28.07.2016 से 29.07.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर वी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 से अतिरिक्त दो यूनिट (अतिरिक्त 100 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।
- उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

✓
श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

पृ०सं० / सम्बद्धता/ 19928-25

/2016-17 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, वेरिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, वेरिक शिक्षा, उ०प्र०शासन, शिक्षा अनुभाग -11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, वेरिक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-II, एल०आई०री० विल्डिंग, भवानी रिहाँ मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, मेरठ।
7. प्रबन्धक/सचिव, एस्ट्रोन कॉलेज ऑफ एजूकेशन, हापुड वाईपास नूरनगर जनपद मेरठ।
8. गार्ड फाइल।

✓
श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।